न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 80/2020 — निर्णय दिनांक: 10.3.2021

घासीराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति कुम्हार निवासी ढाणी धोरान, कलेरो की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री नारायण जोशी अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र घासीराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ढाणी धोरान, कलेरो की ढाणी तहसील बीदासर जिला चूरू का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत नया खसरा नम्बर 151 तादादी 4.69 हैक्टेयर (पुराना खसरा नम्बर 227 तादादी 18 बीघा 11 बिस्वा) रोही हथाणा पटवार हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है व उक्त खेत में 1/2 हिस्सा प्रार्थी की माता बादू पत्नि रामेश्वर जाति कुम्हार का है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम घासीराम पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार है व प्रार्थी के उक्त खेत के पूर्व के खसरा नम्बर 227 तादादी 18 बीघा 11 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2039 व नामान्तरण संख्या 190 व राजस्व रिकार्ड, आदि में भी प्रार्थी का नाम घासीराम पुत्र रामेश्वर जाति कुम्हार दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 151 तादादी 4.69 हैक्टेयर रोही हथाणा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के प्रार्थी व उसकी माता बादू की जाति कुम्हार के स्थान पर सुथार अंकित कर दी है। प्रार्थी ने उक्त खेतों में अपने व अपनी माता की जाति सुथार के स्थान पर कुम्हार करवाने कि लिये पूर्व में सम्वत् 2056 में आवेदन किया था तो तत्कालीन पटवारी हल्का ने शुद्धि पत्र भरकर जमाबंदी में प्रार्थी व उसकी माता बादू की जाति कुम्हार अंकन कर दी थी। लेकिन आगामी सम्वत् की जमाबंदी में शुद्धि पत्र की पालना नहीं की गई और पूर्व की भांति प्रार्थी व उसकी माता की जाति कुम्हार की जगह सुथार आज तक चली आ रही है। प्रार्थी ने दिनांक 20.11.2020 को अपने उक्त खेतों पर के. सी.सी. बनाने कि लिये हल्का पटवारी से उक्त खेतों के राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो प्रार्थी को अपने उक्त खेत की जमाबंदी में अपनी व अपनी माता की जाति सुथार अंकित होने की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने हल्का पटवारी से उक्त खेत में अपनी व अपनी माता की जाति सही कर सुथार के स्थान पर कुम्हार अंकित करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने प्रार्थी से कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश करवाओं तभी राजस्व रेकार्ड में संशोधन हो सकता है। उक्त खेत में प्रार्थी की गलत जाति दर्ज हो जाने से प्रार्थी अपने उक्त खेत पर के.सी.सी. नहीं बना पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त खेत प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के होने से व उक्त खेतों पर प्रार्थी का कब्जा—कास्त व उपयोग—उपभोग चले आने से प्रार्थी को उक्त खेतों के संबंध में वादाधिकार व वादहेतु प्राप्त है। उक्त खेत रोही हथाणा पटवार हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इसलिये न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना—पत्र को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पर पेश है व पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 151 तादादी 4.69 हैक्टेयर रोही हथाणा पटवार हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व उसकी माता बादू की जाति सुथार के स्थान पर जाति कुम्हार अंकित कर उक्त खेत के राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करें। श्रीमान्जी कि अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी कीजाति शुद्ध की जाती है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 151 तादादी 4.[illegible] हल्का धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व उसकी माता बादू की जाति [illegible] स्थान पर शुद्ध जाति **कुम्हार** शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जा[illegible]ढ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 10.3.2021 को सेर इजलास मेरे द्वारा टंकित करवाया [illegible] मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्ण[illegible]यरा रजिस्टर में से [illegible]र दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:59 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़